P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-3* November- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिला अपराध–समस्या एवं समाधानः मेरठ नगर का एक भौगोलिक विश्लेषण

Women's Crime-Problem and Solution: A Geographical Analysis of Meerut City

Paper Submission: 15/11/2020, Date of Acceptance: 26/11/2020, Date of Publication: 27/11/2020

मुनेश कुमार
शोधार्थी,
भूगोल विभाग,
मेरठ कॉलेज, मेरठ,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों ने उनकी स्वतन्त्रता का हनन कर उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास को अवरूद्ध कर दिया है। दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों ने खौफ का वातावरण तैयार कर दिया है। लचर कानून व्यवस्था ने अपराधियों के हौसलो को बुलन्द कर दिया है। पुरूष प्रधान सामज में महिलाओं की स्थिति दयनीय बनकर रह गयी है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ित महिलाओं को अपने अधिकारों के लिये लड़ना पड़ रहा है। एकल परिवार के कारण भी घरेलू महिला हिंसक अपराध बढ़ें है। सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के पतन ने महिला अपराध को और अधिक बढ़ावा दिया है। सहयोग की भावना समाप्त होती जा रही हैं, जिससे आपराधिक घटना के समय कोई बचाने के उद्देश्य से सहयोग नही कर पा रहा है। यद्यपि महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है, परन्तु महिलाओं के प्रति अपराध कम नहीं हुए हैं। गरीबी एवं बेरोजगारी ने भी महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि की है। रोजगार के कारण न जाने कितनी महिलाओं का शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया जाता है। दहेज हत्या जैसा दानव आज भी हमारे समाज में विद्यमान है, जिसके कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों महिलाओं को जलने पर मजबूर कर दिया जाता है। बलात्कार, यौन उत्पीड़न तथा मानव तश्करी इत्यादि कलंकित अपराध समाज को खोखला कर रहे हैं।

Increasing crimes against women have infringed on their freedom and blocked their social and economic development. Increasing crimes day by day has created an atmosphere of fear. The poor law and order system has boosted the spirits of criminals. The position of women has become pathetic in the male dominated society. Physically and mentally afflicted women have to fight for their rights. Domestic female violent crimes also increase due to single family. The decline of social and moral values has given a further boost to female crime. The spirit of cooperation is ending, due to which no one is able to cooperate for the purpose of saving at the time of criminal incident. Although there has been an increase in female literacy, crimes against women have not decreased. Poverty and unemployment have also increased crimes against women. How many women are physically and mentally abused due to employment. A demon like dowry death still exists in our society, due to which hundreds of women are forced to burn every year. Stigmatized crimes like rape, sexual harassment and human trafficking are hollowing out the society.

मुख्य शब्द : महिला अपराध, घरेलू हिंसा, लिंग असमानता, यौन उत्पीड़न, अपहरण, महिला सशक्तिकरण।
Female Crime, Domestic Violence, Gender Inequality, Sexual Harassment, Kidnapping, Female Empowerment.

प्रस्तावना

भारत में महिलाओं के प्रति अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पुरूष प्रधान समाज ने महिलाओं को केवल उपभोग की वस्तु मानकर उसका शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया है। भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार ''बलात्कार, अपहरण, बहला–फुसला कर ले जाना, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न, दहेज हत्या, मारपीट, यौन उत्पीड़न इत्यादि को गम्भीर अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया गया हैं।'' महिला हिंसा से सम्बन्धित मुकदमों में

लगातार वृद्धि होती जा रही है। समाज में शिक्षा का स्तर उच्च होने के बावजूद भी महिलाओं के प्रति लोगों की सोच में परिवर्तन नही हो पा रहा है। महिलाओं के प्रति घटित होने वाली हिंसाओं का प्रमुख कारण पुरूष प्रधान सोच, कमजोर कानून व्यवस्था, राजनीतिक ढ़ाचे में पुरूषों का वर्चस्व तथा लचर न्याय व्यवस्था इत्यादि है। महिलाओं के प्रति हिंसा की शुरूआत उसके अपने घर से ही होती है। परिवार के सदस्यों द्वारा उनको प्रतांड़ित किया जाना, रिश्तेदारों तथा पडौसियों द्वारा प्रतांड़ित किया जाना। यह हिंसा आगे चलकर विकराल रूप धारण कर लेती है। इतना ही नही परिवार में महिलाओं के साथ खान–पान, रहन–सहन, शिक्षा, शादी इत्यादि स्तर पर भेदभाव किया जाता है। तकनीकि के इस युग में महिलाओं के साथ विविध प्रकार के अपराध बढ़ गये हैं। स्कूल, कॉलिज तथा कार्यालय इत्यादि स्थलों पर छेड़छाड़ की घटनाऐं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। विविध प्रकार के कानूनों के बनने के बावजूद भी महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध कम नहीं हो रहे हैं।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध को पूर्ण करने हेतु मेरठ नगर का चयन किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ नगर यद्यपि एक विकसित नगर है। महानगर होने के बावजूद भी अपराधों की दर यहां पर कम नहीं है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 70 किमी० उत्तर की ओर अवस्थित है। गाजियाबाद नगर के पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित नगर है। मेरठ नगर का विस्तार $28^0$59" उत्तरी अक्षांश से $77^0$24" पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है। यह लगभग 450 वर्ग किमी० क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी जनसंख्या 15.71 लाख है। यहां की औसत साक्षरता 75.66 प्रतिशत है। जिसमें पुरूष साक्षरता 80.97 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 69.79 प्रतिशत है। नगर की जनसंख्या का औसत लिंगनुपात 897 है। यहां पर 61.15 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू, 36.05 प्रतिशत मुस्लिम, 0.41 प्रतिशत ईसाई, 0.60 प्रतिशत सिक्ख, 0.09 प्रतिशत बौद्ध, 0.92 प्रतिशत जैन धर्म की है। गंगा–यमुना के मैदानी प्रदेश में अवस्थित यह नगर शिक्षा–चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्नवत् हैं–

1ण अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं के प्रति घटित अपराधों के प्रकार तथा प्रतिरूप का अध्ययन करना।

2ण अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं के प्रति घटित होने वाले अपराधों के कारणों को ज्ञात करना।

3ण महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पनाऐं

प्रस्तुत शोध को पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित शोध परिकल्पनाओं का चयन किया गया है–

1. महिला साक्षरता वृद्धि ने महिला अपराधों को कम किया है।
2. गरीबी एवं बेरोजागरी ने महिलाओं के प्रति हिंसक अपराधों में वृद्धि की है।
3. लैंगिग असमानता ने समाज में विविध प्रकार के अपराधों को जन्म दिया है।

शोध विधि तन्त्र

प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ें अध्ययन क्षेत्र से प्रश्नावली तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि के आधार पर सेम्पल सर्वे कर प्राप्त किये गये हैं। द्वितीयक आँकड़ें जिला सांख्यिकी पत्रिका जनपद मेरठ तथा सम्बन्धित विभागों एवं कार्यालयों से प्राप्त किये गये हैं। शोध समस्या के स्तर तथा प्रतिरूप को ज्ञात करने हेतु विविध सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है।

सेम्पल

प्रस्तुत शोध को पूर्ण करने हेतु 200 महिलाओं को सेम्पल हेतु चयनित किया गया है। इन महिलाओं का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित विभिन्न विद्वानों ने शोध कार्य प्रस्तुत किये हैं। इनके शोध कार्यो को कालक्रमानुसार निम्न प्रकार से व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है– श्रीवास्तव (2001)[1] ने अपने शोध 'महिला हिंसा रोकथाम के उपाय' के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने शोध में पाया कि महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा सामाजिक मूल्य के पतन का कारण है। कामेश्वरी (2002)[2] ने अपने शोध में पाया कि महिलाओं के प्रति हिंसात्मक घटनाओं का कारण अधिकारों को न जानना तथा महिलाओं की आवाज को दवा देना तथा पुरूष प्रधान समाज का वर्चस्व होना है। भवानी प्रसाद (2004)[3] ने अपने शोध महिला अपराध समस्या एवं समाधान के सम्बन्ध में किया। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ने से समाज में विविध प्रकार की समस्याओं का जन्म हुआ है। दत्ता (2005)[4] ने अपने शोध में पाया कि महिला अपराधों का जन्म परिवार से ही होता है। गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण महिला अपराध अधिक हो रहे हैं। निम्न साक्षरता तथा एकल परिवार के कारण दम्पत्तियों में अलगाव उत्पन्न हो रहा है। जो आगे चलकर हिंसक रूप धारण कर रहा हैं। कुमार (2007)[5] ने महिला घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कानून बनाने के सम्बन्ध में अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। कृष्णा (2008)[6] ने भारत में महिला हत्या समस्या एवं समाधान के सन्दर्भ में अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। इन्होंने समाज में विद्यमान इस समस्या को सामाजिक विकास में प्रमुख अवरोध के रूप में माना। किशोर (2009)[7] ने अपना शोध कार्य भारत में महिला समानता एवं महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने शोध में बताया कि महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिला असमानता को कम किया जा सकता है। कौर (2011)[8] ने अपने शोध में भारत में महिला अपराध व लिंग असमानता की समस्याओं का वर्णन प्रस्तुत किया। इन्होंने महिला अपराध का प्रमुख कारण लचर कानून व्यवस्था को माना। सिंह एवं चौधरी (2012)[9] ने अपना शोध बच्चों महिलाओं के प्रति हिंसा मुददे एवं चुनोतियों के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने शोध में पाया कि महिला तथा बच्चों के प्रति समाज में हिंसात्मक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। नैतिक मूल्यों में पतन के कारण महिला अपराध बढ़ रहा है। अरोड़ा

(2014)[10] ने अपने शोध में महिलाओं के प्रति अपराधों की प्रवृत्ति, प्रकार तथा उनके घटकों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। चौधरी एवं कैथवास (2019)[11] ने 'भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा नामक शीर्षक पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने शोध में महिलाओं के प्रति बढ़ते घरेलू अपराधों की समीक्षा की तथा इनके निवारण हेतु सुझाव प्रस्तुत किये। छिब्बर एवं अहिल्या (2019)[12] ने अपने शोध पत्र में महिला अपराध एवं इसके प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत किया।

महिला अपराधों का वितरण एवं प्रतिरूप

अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं के साथ सर्वाधिक 252 घटनाऐं अपहरण की वर्ष 2019 में दर्ज की गयी। यहां पर सर्वाधिक 116 घटनाऐं कंकरखेड़ा थाना तथा सबसें कम 6 महिला थाना में घटित हुई। अध्ययन क्षेत्र में महिला अपराधों के वितरण प्रतिरूप को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–1 मेरठ नगर में महिला अपराधों का वितरण एवं प्रतिरूप (वर्ष 2019)

क्र०सं०	थाना	हत्या	दहेज हत्या	बलात्कार	शीलभंग	अपहरण	छेड़खानी	योग
1.	कोतवाली	–	–	–	6	3	–	9
2.	देहलीगेट	–	–	1	6	9	–	16
3.	लिसाड़ी गेट	2	1	13	29	37	–	82
4.	परतापुर	–	1	4	18	34	3	60
5.	ब्रहमपुरी	1	–	7	20	24	3	55
6.	टी०पी० नगर	1	1	8	22	14	5	51
7.	सदर बाजार	3	–	2	5	7	2	19
8.	लालकुर्ती	1	–	1	8	13	1	24
9.	रेलवे रोड	–	–	1	1	3	4	9
10.	सिविल लाईन्स	–	1	–	7	3	–	11
11.	मेडिकल	–	2	11	22	12	1	48
12.	नौचन्दी	–	2	7	14	15	1	39
13.	महिला थाना	–	–	2	–	–	4	6
14.	दौराला	1	1	5	8	23	9	47
15.	कंकरखेड़ा	1	2	22	45	44	2	116
16.	पल्लवपुरम	–	–	1	10	11	–	22
योग		10	11	85	221	252	35	614

स्रोतः– एस०एस०पी० कार्यालय जनपद मेरठ, वर्ष 2019

अध्ययन क्षेत्र मेरठ नगर में वर्ष 2019 के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराधों में कुल 614 घटनाऐं घटित हुई हैं। जिनमें 10 महिलाओं की हत्या, 11 महिलाओं की दहेज हत्या, 85 महिलाओं का बालात्कार, 221 महिलाओं की शीलभंग, 252 महिलाओं का अपहरण तथा 35 घटनाऐं महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटित हुई हैं।

महिला अपराधों की प्रवृत्ति

अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं के प्रति हिंसक अपराध निरन्तर बढ़ते जा रहे है। वर्ष 2015 में कुल महिला अपराध 612 घटित हुऐ जो वर्ष 2019 में बढ़कार 1217 हो गये हैं। वर्ष 2015 में सर्वाधिक अपराध 226 महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना से सम्बन्धित पंजीकृत हुए। अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं के प्रति घटित अपराधों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–2 मेरठ नगर में महिला अपराधों की प्रवृत्ति (वर्ष 2015–2019)

क्र०सं०	अपराधों का विवरण	2015	2016	2017	2018	2019	परिवर्तन 2015–19
1.	हत्या	10	7	9	15	19	9
2.	दहेज हत्या	13	12	19	22	11	–2
3.	बलात्कार	48	68	95	101	85	37
4.	शीलभंग	140	148	198	234	221	81
5.	अपहरण	150	159	193	282	252	102
6.	छेड़खानी	25	15	17	44	35	10
7.	प्रताड़ना	226	297	388	531	594	368
योग		612	706	919	1229	1217	605

स्रोतः– एस०एस०पी० कार्यालय जनपद मेरठ, वर्ष 2019

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2015 में 10 महिलाओं की हत्या हुई तथा 2019 में 19 महिलाओं की हत्या हुई दहेज के लिए वर्ष 2015 में 13 महिलाओं की हत्या हुई वही वर्ष 2019 में 11 महिलाओं की हत्या हुई। वर्ष 2015 में 48 महिलाओं का बलात्कार हुआ वही 2019 में 85 घटनाऐं महिला बलात्कार की घटित हुई। वर्ष 2015 में 140 महिलाओं की शीलभंग की गयी वहीं वर्ष 2019 में 221 महिलाओं की शीलभंग की

गयी। वर्ष 2015 में 150 महिलाओं का अपहरण हुआ वही वर्ष 2019 में 252 महिलाओं का अपहरण किया गया। महिलाओं के साथ वर्ष 2015 में छेड़छाड़ की घटनाऐं 25 घटित हुई जो वर्ष 2019 में बढकर 35 हो गयी हैं। महिलाओं को शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की 226 घटनाऐं वर्ष 2015 में घटित हुई वही 2019 में यह घटनाऐं 594 घटित हुई। अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। इन अपराधों के बढ़ने का मुख्य कारण लचर कानून व्यवस्था तथा इंसाफ मिलने में देरी इत्यादि प्रमुख हैं।

चयनित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विवरण

अध्ययन क्षेत्र मेरठ नगर में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन 200 चयनित महिलाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया गया है। यद्यपि महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ है, फिर भी महिलाओं के प्रति अपराधों की दर में कमी नही आ रही है। अध्ययन हेतु चयनित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–3 चयनित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विवरण (अक्टूबर 2020)

क्र०सं०	विवरण	महिलाऐं	प्रतिशत
1.	शिक्षित महिलाऐं	165	82.50
2.	अशिक्षित महिलाऐं	35	17.50
3.	कार्यरत महिलाऐं	112	56.00
4.	आश्रित महिलाऐं	88	44.00
5.	विवाहित महिलाऐं	126	63.00
6.	अविवाहित महिलाऐं	74	37.00

स्रोतःशोधार्थी द्वारा सर्वेक्षित आँकड़ों की गणना पर आधारित।

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण हेतु चयनित 200 महिलाओं की साक्षरता 82.50 प्रतिशत, कार्यरत महिलाऐं 56.0 प्रतिशत, तथा विवाहित महिलाऐं 63.0 प्रतिशत हैं। इन चयनित महिलाओं से निम्नलिखित सूचनाऐं प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

सारणी–4 चयनित अपराध एवं पीड़ित महिलाओं का विवरण (अक्टूबर 2020)

क्र०सं०	अपराध	पीड़ित महिलाऐं	प्रतिशत
1.	छेड़छाड़	96	43.0
2.	पीछा करना	65	32.50
3.	अभद्र टिप्पणी	75	37.00
4.	यौन उत्पीडन	45	22.50
5.	ब्लैक मेल	87	43.50
6.	प्रति द्वारा प्रताडना	72	36.00
7.	दहेज हेतु दुर्व्यवहार	54	27.00

स्रोतःशोधार्थी द्वारा सर्वेक्षित आँकड़ों की गणना पर आधारित।

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में चयनित 200 महिलाऐं उक्त अपराध एवं समस्याओ सें पीड़ित पायी गयी हैं। इनमें 43 प्रतिशत महिलाऐं छेड़छाड़ की शिकार हुई, 32.50 प्रतिशत महिलाओं का सौहदों द्वारा पीछा किया गया। 37 प्रतिशत महिलाऐं बाजार, मॉल सार्वजनिक स्थल तथा ऑफिस इत्यादि स्थानों पर अभद्र टिप्पणी से ग्रहस्त पायी गयी है। 22.50 प्रतिशत महिलाओं के साथ नौकारी इत्यादि के झासें से उनका यौन उत्पीडन किया गया। 43.50 प्रतिशत महिलाऐं ब्लैकमेलिंग की शिकार पायी गयी। 36 प्रतिशत महिलाओं को उनके पति शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रतांड़ित करते हैं। 27 प्रतिशत महिलाऐं ससुराल वालों द्वारा दहेज के सम्बन्ध में परेशान व पीड़ित पायी गयी हैं।

आयु वर्गानुसार महिला अपराधों का विवरण

अध्ययन क्षेत्र में 16–25 आयु वर्ग की महिलाओं के साथ सर्वाधिक धटनाऐं घटित हुई हैं। 25–35 आयु वर्ग की महिलाओं के साथ दहेज हत्या की घटनाऐं सर्वाधिक हुई है। अध्ययन क्षेत्र में आयु वर्गानुसार महिला अपराधों के विवरण को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–5 मेरठ नगर में आयु वर्गानुसार महिला अपराधों का विवरण (वर्ष 2019)

आयु वर्ग	महिला अपराध						
	हत्या	दहेज हत्या	बलात्कार	शीलभंग	अपहरण	छेड़खानी	योग
10–15	3	–	5	76	38	7	129
15–20	4	2	17	98	54	15	190
20–25	5	4	28	27	77	8	149
25–30	3	3	24	20	45	3	98
30–35	2	2	6	–	22	2	34
35–40	1	–	3	–	8	–	12
40–45	1	–	2	–	5	–	8
45–50	–	–	–	–	3	–	3
50–55	–	–	–	–	–	–	–
55–60	–	–	–	–	–	–	–
योग	19	11	85	221	252	35	623

स्रोतः– एस०एस०पी० कार्यालय जनपद मेरठ, वर्ष 2019

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में महिला हत्या की सर्वाधिक 26.32 प्रतिशत घटनाऐं 20–25 आयु वर्ग की महिलाओं की हुई। दहेज हत्या की सर्वाधिक 36.37 प्रतिशत घटनाऐं 20–25 आयु वर्ग की महिलाओं के

साथ घटित हुई। शीलभंग की सर्वाधिक 44.34 प्रतिशत घटनाऐं 15–20 आयु वर्ग की महिलाओं तथा अपहरण की सर्वाधिक 30.56 प्रतिशत धटनाऐं 20–25 आयु वर्ग की महिलाओं के साथ घटित हुई। छेड़खानी की सर्वाधिक घटनाऐं 42.86 प्रतिशत 15–20 आयु वर्ग की महिलाओं के साथ घटित हुई। महिला अपराधों की सर्वाधिक 30.50 प्रतिशत 15–20 आयु वर्ग की महिलाओं के साथ घटित हुई।

निष्कर्ष

महिलाओं के प्रति अपराध निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। दहेज हत्या एवं बलात्कार जैसी घटनाऐं समाज को कलंकित कर रही हैं। रास्तों एवं सड़कों पर अकेले महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया है। भय के माहौल ने लड़कियों की पढ़ाई को भी छुड़वा दिया है। लचर कानून व्यवस्था ने समाज के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। नौकारी के नाम पर प्रति वर्ष सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण किया जाता है। वर्ष 2015 में महिलाओं के प्रति घटित होने वाले हिंसक अपराध 612 थे, जो वर्ष 2016 में बढ़कार 706, वर्ष 2017 में 919, वर्ष 2018 में 1229 तथा वर्ष 2019 में बढ़कर 1217 हो गये हैं। वर्ष 2019 में 19 महिलाओं की हत्या हुई। इसके अतिरिक्त 11 दहेज हत्या, 85 बलात्कार, 221 शीलभंग, 252 अपहरण, 35 छेड़खानी तथा 594 घटनाऐं शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना की घटित हुई। 15–30 वर्ष की महिलाओं के साथ सर्वाधिक हिंसक घटनाऐं घटित हुई। 63.16 प्रतिशत हत्याऐं 15–30 आयु वर्ग की महिलाओं की हुई। जबकि 81.82 प्रतिशत दहेज हत्या 20–30 आयु वर्ग की महिलाओं की हुई। 94.12 प्रतिशत बलात्कार 10–35 आयु वर्ग की महिलाओं के साथ हुए हैं। 44.34 प्रतिशत शीलभंग की घटनाऐं 15–20 आयुवर्ग तथा 30.56 प्रतिशत अपहरण की घटनाऐं 20–25 आयु वर्ग की महिलाओं के साथ घटित हुई है। छेड़खानी की सर्वाधिक 42.85 प्रतिशत घटनाऐं 15–20 आयु वर्ग की महिलाओं के साथ घटित हुई हैं। पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है।

सुझाव

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को कम करने हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं–

1. कानून व्यवस्था को सक्त बनाया जाये तथा उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।
2. न्याय प्रक्रिया मे तीव्रता, स्पष्टता, व पारदर्शिता लाई जाये।
3. निष्पक्ष जॉच व कानूनी कार्यवाही में तीव्रता का प्रावधान।
4. राजनीतिक हस्तक्षेप को शून्य किया जाये।
5. गवाह को सुरक्षा एवं सुविधा प्रदान करना।
6. महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि तथा रोजगार परक शिक्षा का विकास।
7. जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की व्यवस्था की जाये।
8. रोजगार के संसाधनों को विकसित किया जाये ताकि गरीबी एवं बेरोजगारी की समाप्ति हो सके।
9. दहेज प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जाये जिससे दहेज की आग में किसी महिला की बलि न चढ़े।
10. नैतिक मूल्यों में वृद्धि की जाये।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *Shrivastava, Y.K. (2001)- "U.N. Efforts to end violence Against women", Legal News and Views Vol. 22, April 2001.*
2. *G. Kameshwari (2002)- "Basic Rights of a Child- Born and Unborn", AIR 2002 J141, p. 143*
3. *Bhawani, P.P. (2004)- "Child Sexual Abuse Problems of Definition and Proof in the Criminal Justice Administration" Law and Child Part 1", R. Combay and company Pvt.Ltd.*
4. *Ashirbani, Dutta, (2005)- "Domestic Violence as Human Rights Violation - A Reality that Bites", Cr Lj, 2005, Journal Section, J. 25.*
5. *Vijendra Kumar (2007)- "Law Relating to Domestic Violence", S. Gojia and Company, Hydrabad.*
6. *Krishna, Chandra Jena (2005)- "Female foeticide in India - A Serious Challenge for the society" Cri Lj 2008, J 55 P-56.*
7. *Kishor, S. and Gupta, K. (2009)- "Gender equality and Women Empowerment in India", NFHS-3 India, Mumbai, International Institute for Population Sciences.*
8. *Kaur, P. (2011)- "Crime, Gender and Society in India", Higher Education of Social Scinece, Vol-1, No. P. 24-32.*
9. *Singh A.K. and Chaudhary, J. (2013)- "Violence Against Women and Childern Issues and concern ", serial Publications, New Delhi, p.1*
10. *Arora, R. (2014)- "Whose Problems is it Anyway Crimes Against Women in India"', Global Health Action, Vol-7, Issue 1.*
11. *Choudhary, R. and K.M. (2009)- "Domestic Violence Against Women in India a Study", Panacea International Research Journals ISSN 2347,-369X, Vol. 1, No.2, April 2019*
12. *Chhiber, R. and Ahilya, D. (2019)-" Crime Against Women and ins Impact on them", International Journals Research Gate, July, 2019.*